



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-119

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 254620 दिनांक 24/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Gaurav Verma S/o Rajendra Prasad Verma	श्री रोड्दाल पुत्र श्री श्योजीराम गुर्जर	31A	101.24 SQ. YARD	Cooperative	DEVRAJ NAGAR I & II Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	उप नगर नियोजक एवं कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 31ए का भूखण्डधारी भूखण्ड संख्या 31 पर काबिज है अनुमोदित मानचित्र के अनुसार भूखण्ड संख्या 31ए गैर अनुमोदित है। जबकि भूखण्ड संख्या 31ए अनुमोदित मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 31 पर निवास कर रहा है। यदि अनुमोदित मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 31 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 31ए को लीजडीड जारी की जाती है तो किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो आम सूचना जारी से 7 दिवस में इस कार्यालय को सूचित करें। उक्त आम सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाना है।
---	--	--	-----	-----------------	-------------	-----------------------------------	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Gaurav Verma S/o Rajendra Prasad Verma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।